मै0 यू0एम0 पॉवर लिमिटेड(यू0एम0पी0) दिबियापुर जनपद– औरैया में 1X250 मेगावॉट क्षमता के कोयले पर आधारित थर्मल पॉवर विद्युत परियोजना की तहसील– औरैया के अन्तर्गत आच्छादित ग्राम– कंचौसी, जमौली एवं तहसील– विधूना के अन्तर्गत ग्राम– ढिकियापुर, नौगवॉ, हरतौली एवं सूखमपुर जनपद– औरैया में स्थापना हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय 844, फतेहपुर रोशनाई रनियॉ रमाबाई नगर पर प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067(ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 25–01–12 को मंडी समिति भवन, कंचौसी बाजार, जनपद– औरैया में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में आयोजित लोकसुनवाई की कार्यवृत्त का विवरण–

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एफ 94769/सी–2/एन0ओ0सी0/3724/2011 दिनॉक 17–11–11 एवं तत्पश्चात् जिलाधिकारी महोदय, जनपद– औरैया द्वारा उक्त परियोजना की लोकसुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रतिष्ठित दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक 30–12–11 को जिलाधिकारी महोदय, जनपद– औरैया द्वारा लोकसुनवाई निर्धारित की गयी थी। जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 से अनुमति न मिल पाने के कारण जिला प्रशासन जनपद– औरैया द्वारा पत्रांक 1313/डी0एल0आर0सी0/पावर प्रोजेक्ट/लोकसुनवाई/11 दिनॉक 30–12–11 के के माध्यम से उपरोक्त दिनॉक को निर्धारित लोकसुनवाई को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने का आदेश जारी कर समाचार पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित कर पत्रांक 1392/एन0ओ0सी0/यू–3/11 दिनॉक 30–12–11 द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रमाबाई नगर को सूचित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के पत्रांक 398/सी0ई0ओ0/01 दिनॉक 19–01–12 द्वारा यू0एम0 पॉवर लि0 दिबियापुर औरैया में 1X250 मेगावॉट तापीय विद्युत परियोजना की पर्यावरण सम्बन्धी लोकसुनवाई हेतु 25–01–12 को अनापत्ति दी गयी जिसके लिए जिला प्रशासन औरैया द्वारा दिनॉक 22–01–12 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त दिनॉक 25–01–12 को पूर्वान्ह 11:30 बजे मण्डी समिति कंचौसी बाजार औरैया में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी।

उक्त लोकसुनवाई की अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय, जनपद औरैया द्वारा की गयी लोकसुनवाई में उपस्थिति अधिकारियों में जिलाधिकारी महोदय, जी0एस0 नवीन कुमार, जनपद– औरैया, पुलिस अधीक्षक, अब्दुल हमीद, जनपद– औरैया, तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं समीपवर्ती ग्रामों के कुल 80 प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिसमे ग्राम कंचौसी के 20, ग्राम जमौली के 31, ग्राम ढिकियापुर के 15, ग्राम नौगवॉ के 7, ग्राम हरतौली के 3 एवं सूखमपुर के 4 सदस्य थे।

(संलग्नक– 1)

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , 844 फतेहपुर रोशनाई रनियॉ, जनपद– रमाबाई नगर के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी सहा0वैज्ञा0अधि0 क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रमाबाई नगर द्वारा सभा में उपस्थित सभी अधिकारियो, जनप्रतिनिधियों, किसानों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि ग्राम– कंचौसी, जमौली, ढिकियापुर, नौगवॉ, हरतौली, सूखमपुर जनपद– औरैया में यू0एम0 पॉवर लि0, दिबियापुर, औरैया द्वारा 1X250 मेगावॉट क्षमता के कोयले पर आधारित थर्मल पॉवर परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रमाबाई नगर में दिया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तावकों से विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसभा को देने हेतु अनुरोध किया गया। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में डा0 शशांक शेखर मिश्रा, एप्सेलॉन, लखनऊ के द्वारा उपस्थित जनसमूह के समक्ष प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। तदोपरान्त श्री आर0बी0 सिंह कार्यकारी निदेशक, यू0एम0पॉवर लि0, द्वारा प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय जनता को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

श्री आर0बी0सिंह, कार्यकारी निदेशक द्वारा भी उक्त परियोजना मै0 यू0एम0 पॉवर लि0, दिबियापुर, औरैया क्षमता, 1X250 मेगावॉट परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि कोयले पर आधारित तापीय विद्युत परियोजना के आने से स्थानीय लोगों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। परियोजना हेतु कोयले की आपूर्ति निकटवर्ती एन0सी0एल0/निकटतम कोलफील्ड अथवा इण्डोनेशिया से आयातित कोयले द्वारा की जाएगी। चिमनी से निकलने वाले धुएं के उतसर्जन को नियंत्रित करने हेतु ई0एस0पी0 के साथ 220 मी0 ऊॅची पक्की चिमनी का निर्माण किया जाएगा। परियोजना हेतु जल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत मंगलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी होगी।

परियोजना के लाभ के सम्बन्ध में श्री सिंह ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्रीय विकास व जनहित के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये उ0प्र0 सरकार ने दिनॉक 15/12/2010 में एम0 ओ0 यू0 के माध्यम से औरैया तापीय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की. इस परियोजना से प्रभावित परिवारो को समुचित लाभ दिलाये जाने हेतु कम्पनी द्वारा निम्नलिखित स्कीम लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

1. परियोजना से प्रभावित हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार उ0प्र0 सरकार की नीति 2जून 2011 के क्रमॉक संख्या 3(III) घ(II) के अनुसार शिक्षा व उपयोगिता के आधार पर नौकरी सुनिश्चत करना प्रस्तावित है।

2. परियोजना मे कार्यरत ठेकेदारो के ठेके में प्राविधान किया जायेगा कि 80 प्रतिशत मजदूर परियोजना प्रभावित क्षेत्र से ही लिये जायेगे।

3. पेटी कॉट्रैक्ट सत प्रतिशत परियोजना प्रभावित व्यक्तियो को ही दिये जायेगे। श्री सिंह ने यह भी कहा कि हर एक गॉव मे एक भूविस्थपित कोऑपरेटिव की स्थानपना की जायेगी जिसमे सभी भूविस्थपित कोऑपरेटिव सदस्य होगे और उनको दिये गये ठेके का निस्पादन सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियो से कराया जायेगा इस परियोजना मे सम्भावित पेटी कॉट्रैक्ट हार्टिकल्चर, हाउस कीपिग, ग्रास कटिंग, ड्रेन क्लीनिंग, बिल्डिग का व्हाइट वॉस व प्रिटिंग, बिल्डिग आफिस का रख रखाव , खुदाई व निर्माण के छोटे कार्य , कोयले का लोडिग अनलोडिग इत्यादि होगे।

4. कम्पनी द्वारा सभी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगो को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जायेगा कि वो मुआवजे की 50प्रतिशत धनराशि से जमीन के बदले जमीन क्रय करे एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि एफ0 डी0 के रुप मे बैंक मे जमा करेगे जिससे उनके भविष्य उज्जवल रहे।

5. कम्पनी द्वारा समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सभी गॉव मे कराया जिसमे पाया गया कि इन सभी प्रभावित गॉवो की जनसंख्या लगभग 13000 है जिसमे कक्षा 9 व 10 पास बच्चो की संख्या लगभग 22 प्रतिशत है और 12 कक्षा तक की संख्या 12 प्रतिशत और ग्रेजुएट व्यक्तियो की संख्या 5 प्रतिशत है। इससे यह सिद्व होता है कि गॉव मे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और शैक्षिक रोजगार प्राप्त करने के योग्य नही है। कम्पनी द्वारा होनहार बच्चो को कक्षा 10 व 12 पास होने के बाद तकनीकी शिक्षा जैसे– आई0टी0आई0 डिप्लोमा व इंजीनियरिग ट्रेनिग हेतु चयनित छात्र, छात्राओ को शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवश्यक शिक्षा शुल्क मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है। इससे उनको कम्पनी मे भी रोजगार मिल सके और एसे छात्रो से कम्पनी बॉन्ड भरवायेगी।

6. सी0 एस0 आर0 के अर्न्तगत सामुदायिक केन्द्र, बारात घर पक्की ड्रेन, खंडजा, सडक, स्कूलो का उच्चीकरण पुस्तकालय व तकनीकी लैब निर्माण अस्पताल इत्यादि के निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ हैल्थ मोबाइल वैन, हैल्थ कैम्प , जानवरो का हैल्थ कैम्प इत्यादि प्रस्तावित है।

7. श्री सिंह ने यह भी बताया कम्पनी द्वारा स्वारोजगार योजनाए हेतु आवश्यक ट्रेनिग व फाइनेनसिल सहायता मुहैया करायी जायेगी जैसे डेरी फॉर्म, मुर्गी पालन, कार्पिट बेबी जो महिलाओ के लिये उपयोगी होता है ये सब भी प्रस्तावित है।

यू0एम0 पॉवर की परियोजना में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित कर निर्धारित मानकों के अनरूप रखने के सारे प्रयास किये जाएगें। जैसे कि कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण में बताया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सारी व्यवस्था की जाएगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 99.78 प्रतिशत से अधिक कार्यक्षमता के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। चिमनी की ऊँचाई 220मी0 होगी जिससे कि नियंत्रित उत्सर्जन विसरित हो सके। कोयला भण्डारण लोडिंग एवं अनलोडिंग के स्थान पर जल का छिड़काव किया जाएगा। जिससे धूल की सान्द्रता नियंत्रित की जाएगी। धूल कणों (एस0पी0एम0, एस0ओ02, एन0ओ0एक्स0 एवं सी0ओ0) के ऑन लाइन मॉनीटरिंग हेतु उपकरण लगाए जाएगें।

परियोजना की कालोनियॉ और प्लांट से उत्पन्न प्रदूषित घरेलू उत्प्रवाह को सीवेज टीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाएगा। उपचार के बाद इस जल को 80 हेक्टेयर क्षेत्र हरित पट्टी के विकास हेतु जल छिड़काव एवं इसी तरह की अन्य प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाएगा। राख विसर्जन में प्रयुक्त जल की यथा सम्भव रिसाइकलिंग की जाएगी। परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास किया जाएगा जिसके फलस्वरूप प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

परियोजना के निर्माण में प्रयोग होने वाले मशीनों व उपकरणों का सही रखरखाव करने से ध्वनि स्तर कम रहेगा। इसके अलावा ध्वनि प्रतिरोधक यंत्र लगाए जाएंगे।

जिलाधिकारी महोदय, जनपद– औरैया ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि प्रस्तावित विद्युत परियोजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति एवं स्वयं के अनुभव के आधार पर विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके उपरान्त सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय नागरिकों एवं स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रश्न पूछे गये। सभास्थल पर ही यू0एम0 पॉवर लि0, के कार्यकारी निदेशक, श्री सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

प्रश्न–1 यदि गॉव में अकस्मात् आग लग जाए तो उस समय कम्पनी की ओर से क्या सहायता मिल सकती है ? श्री पंचम लाल, ग्राम– सूखमपुर। (क्रमॉक 59)

उत्तर– परियोजना में दमकल विभाग कार्यरत होगा और जैसे ही कण्ट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी वैसे ही फायर ब्रिगेड व आग बुझाने के विशेषज्ञ तत्काल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये जिलाधिकारी औरैया ने आग से क्षतिग्रस्त हानि के मुआवजा हेतु ग्रुप इन्श्योरेन्स की व्यवस्था करायी जाने के लिये कहा इसके लिए कार्यकारी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इसके लिये सम्बन्धित इन्श्योरेन्स कम्पनी से वार्ता कर समाधान किया जायेगा।

प्रश्न–2 पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था के बाद यदि संक्रमण हो जाए तो उसके लिए कम्पनी की ओर से क्या व्यवस्था है?निलेश चन्द्र दुबे, नौगवॉ। (क्रमॉक 76)

उत्तर– प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण नियंत्रण की पूरी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त यदि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए कम्पनी की ओर से मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल खुलवाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न–3 छोटे किसानों की पूरी जमीन परियोजना स्थापना हेतु चली गयी है, क्या उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? राजीव कश्यप, ग्राम– जमौली। (क्रमॉक 122)

उत्तर– शैक्षिक योग्यता व उपयोगिता के अनुसार राज्य सरकार व कम्पनी की नीति के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न 4– इस परियोजना में प्रयुक्त सामान के यातायात हेतु रेलवे लाइन स्वीकृत है कि नहीं? यदि है तो लाइन कहॉ से होकर गुजरेगी? ब्रजेश परिहार –ढिकियापुर (क्रमॉक 123)

उत्तर– रेलवे लाइन का प्रस्ताव है। कंचौसी से विझाई क्रासिंग होते हुए प्लांट में जाएगी। एक्ज़िस्टिंग ट्रैक के साथ डेडीकेटेड फ्रैट कॉरीडोर प्रस्तावित है जिसको रेलवे साइडिंग फ्लाई ओवर के माध्यम से पार करेगी। डी0एफ0सी0सी0 लाइन पर चलने वाली मालगाडियॉ होगी जिसकी रफ्तार 200मि0/घंटा होगी तथा जिसके डिब्बे डबल डैकर होगे।

प्रश्न– 5– प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं संचालन के उपरान्त जनित वेस्ट मेटीरियल द्वारा लोगों पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा? डा0 एन0के0 चतुर्वेदी, कंचौसी बाजार, ढिकियापुर। (क्रमॉक 04)

उत्तर– प्रस्तावित परियोजना से जनित वेस्ट मेटीरियल का पृथक्करण कर लोहा इत्यादि बेच दिया जाएगा एवं अन्य वेस्ट का उपचार कर इस प्रकार यथोचित निस्तारण किया जाएगा जिससे लोगों पर इसका कुप्रभाव न पड़े।

प्रश्न 6– इस परियोजना के संचालन से क्षेत्रीय बच्चों को क्या लाभ होगा? दिनेश चन्द्र, नौगवॉ। (क्रमॉक 05)

उत्तर– परियोजना के संचालन के उपरान्त योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर सरकारी नीति के अनुसार दिया जाएगा।

प्रश्न 7– प्लांट से जनित राख के निस्तारण हेतु कम्पनी की क्या नीति है? नरेश चन्द्र, नौगवॉ। (क्रमॉक 06)

उत्तर– प्लांट से जनित राख को विभिन्न सीमेन्ट कम्पनियों ने खरीदने की इच्छा प्रकट की है। कुछ सीमेंट कम्पनियों से अनुबन्धन की बात चल रही है।

प्रश्न 8– जिसकी सम्पूर्ण जमीन चली गयी है जबकि मापदण्ड के अनुसार वे अपनी शेष जमीन नहीं देना चाहते हैं उनके लिए कम्पनी की क्या नीति होगी? महेश चन्द्र गुप्ता, कंचौसी। (क्रमॉक 81)

उत्तर– यह कार्य प्रगति पर है समय आने पर इसका समाधान विलेज डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाएगा। विलेज डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी तुरन्त स्थापित करने हेतु कहा गया।

प्रश्न 9– परियोजना से जनित फ्लाई ऐश के कण जो हवा में मिल जाते हैं उनके निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था है? शैलेन्द्र अवस्थी, दैनिक जागरण। (क्रमॉक 124)

उत्तर– इसके निस्तारण हेतु भूतल से 220 मी0 उँची पक्की चिमनी एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर लगाकर राख के कणों को परिवेशीय वायु में मिलने से रोके जाने का प्रस्ताव है। जिसकी क्षमता 99.9 प्रतिशत है। कुछ कण शेष रहने पर पानी छिडकाव हेतु हाइड्रिन्ट/पाइप लाइन बिछाई जायेगी और हाई प्रेशर से धूल के कणो पर पानी का छिडकाव किया जायेगा जिससे उत्सर्जित कणो का पूर्णतया निस्पादन हो जायेगा।

प्रश्न–10 प्रस्तावित परियोजना से 200 मी0 के दूरी पर जो बरसाती नाला है उससे गॉव के लोगों द्वारा सिंचाई की जाती है। परियोजना के लगने के बाद यदि यह नाला बन्द होगा तो सिंचाई का कार्य भी नहीं हो पाएगा और क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी इसके लिए कम्पनी क्या निराकरण करेगी? ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की क्या व्यवस्था होगी? सुरेश चन्द्र यादव, ग्राम प्रधान, कंचौसी। (क्रमॉक 125)

उत्तर– नाले के एक ओर थर्मल पॉवर प्लांट एवं दूसरी ओर उद्योग कॉलोनी बनाए जाने का प्रस्ताव है जिससे नाले के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा साथ ही उस नाले को पक्का कराये जाने का भी आश्वासन दिया जिससे बरसाती जलभराव का पूर्णतया निशपादन होगा और सिचाई के लिये पर्याप्त जल भी मिलेगा एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु भूतल से 220 मी0 उँची पक्की चिमनी एवं ई0एस0पी0 लगाकर प्रदूषित प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों से भी कम किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न 11– मेरी जमीन 2.5 एकड़ है। चकबन्दी रिकॉर्ड में 1.5 एकड़ है। पैसा कितना मिलेगा? रामबाबू, कंचौसी। (क्रमॉक 126)

उत्तर– यह मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। फैसला आने पर यथोचित निराकरण किया जाएगा।

मा0 जिलाधिकारी महोदय, जनपद– औरैया द्वारा हर विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने एवं क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा जैसे आई0टी0आई0 डिप्लोमा एंव डिग्री ट्रेनिंग हेतु चयनित छात्र छात्राओं को उनकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु शुल्क कम्पनी द्वारा मुहैया कराये जाने हेतु कहा गया। इस कथन को कार्यकारी निदेशक द्वारा कियान्वयन करने का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त और कोई मुद्दा लोक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया। उक्त सुनवाई के समय उपस्थित स्थानीय जन समुदाय ने ध्वनिमत से इस परियोजना की स्थापना हेतु अपनी सहर्ष सहमति व्यक्ति की तथा इसके शीघ्र ही कियान्वयन हेतु प्रस्तावकों से अनुरोध किया गया। उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मै0 यू0एम0 पॉवर लि0, दिबियापुर, औरैया के प्लांट की स्थापना हेतु स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

(डा0 (श्रीमती) शोभा चतुर्वेदी 25/01/12
(डा० शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उ0प्र0प्रदूषण नि०बोर्ड रमाबाई नगर
रमाबाई नगर।

जी0एस0 नवीन कुमार 25/01/12
जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई
जिलाधिकारी औरैया
जनपद– औरैया।